



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/ दुर्ग/चू०प०-31/रायपुर
प्रति,

38 एम०पी०आर० 13025

दिनांक :- 02/05/2018

श्रीमति मोहिनी देवी मिश्रा, पट्टेदार
पति:- श्री टी० आर० मिश्रा,
48/5, मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व),
भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़-490 020

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 1.92 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 13/04/2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री टी० आर० मिश्रा, पट्टेदार प्रतिनिधी एवं श्री शलभ शाह, अर्हित व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide letter no. DRG/LST/MPLN-608/NGP Nagpur dated 04/04/2014 for the period of 2013-14 to 2017-18: Boundary Pillars: Boundary Pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR, 2016. Development: (i) In the approved Renewal of Mining Plan, there was a proposal given for the production of mineral during the plan period from, Eastern Side, Southern Side and Western Side of the lease area. Whereas, production and development was done all over the quarry in irregular and unscientific manner. (ii) It was found that at some places development was been done outside lease area, and the same area has been backfilled with the waste and top soil. (iii) No such proposal has been given in the earlier approved MP/MMP/SOM/RMP for mining at 7.5 m barrier zone. Development and excavation was observed all along the lease boundary, and most of places 7.5m barrier zone has been mined out. Afforestation: There was a proposal given for plantation of 150 nos of plants during Scheme period, whereas few numbers of plantations have been planted in the western-central part of lease area. Environmental Monitoring: There was a proposal given for Environmental Monitoring (Ambient Air Quality, Water Quality and Noise Level Survey and ground vibration). The same has not been conducted.
Rule 19 (1), (2) & (3)	Log book of heavy earth moving machinery used in the mines is not been maintained and made available during inspection.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2015-16 and 2016-17.
नियम संख्या 27 (2)	पहले से प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 की अधिसूचना की तारीख को बकाया वित्तीय आश्वासन के बीच के अंतर के बराबर की राशि प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति, अधिसूचना की तारीख (27 फरवरी 2017) से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो कि आज दिनांक तक प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई है।
Rule 28 (1)	Notice of Temporary Discontinuance has not been sent to the authorized officer within one hundred and twenty days from the date of such discontinuance as the the mine was non operational from May 2017.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2016-17.

क०प०प०..2.

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45 (5) (b)	मासिक विवरणियाँ : खान की माह मार्च 2018 की मासिक विवरणीयाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
Rule 45 (7)	Closing stock of 28405.478 Metric Tonnes of Limestone has been mentioned in the monthly return; during inspection it was found to be far less than the mentioned quantity.
Rule 48 (1)	Borehole records in prescribed form J have not been maintained properly. NABL accredited test reports of major radicals have not been mentioned.
Rule 54	Labour attendance register, contribution of DMF & NEMT have not been maintained.
Rule 55	Whole-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7)के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर